न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 125/2019

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
देवाराम पुत्र धन्नाराम माली निवासी–आमलियाबेरा, पुरानी भाकरी के पास, सूरसागर, जोधपुर।		1. हजारीसिंह पुत्र धन्नाराम माली निवासी–आमलियाबेरा, पुरानी भाकरी के पास, सूरसागर, जोधपुर। 2. जयसिंह पुत्र धन्नाराम माली निवासी–झमकू का जाव,गोकूल वाटिका के पास, कालूराम की बावडी, सूरसागर, जोधपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2022 तहसीलदार, जोधपुर के द्वारा वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामा0 संख्या 943 दिनांक 16.01.2019 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री ओमप्रकाश डारा, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।**
2. **श्री श्यामसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से।**
3. **श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 19 फरवरी, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गेवा तहसील जोधपुर में अपीलार्थी व रेस्पोडेन्टस की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि ख0सं0 470 मी व अन्य खसरान की आई हुई है, जो अपीलार्थी के पिता धन्नाराम पुत्र लालूराम के नाम दर्ज थी। धन्नाराम का देहान्त दिनांक 13.12.2018 को हो गया। धन्नाराम के फौत होने पर फौतेदगी नामा0 संख्या 943 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम वसीयत के आधार पर स्वीकृत कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत पेश प्रार्थना पत्र में

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि है। अपीलान्ट के पिता धनाराम का दिनांक 13.12.2018 को देहान्त हो गया तब अपीलान्ट ने यह सोचा कि देहान्त उपरान्त कोई बडा त्यौहार निकल जाने के पश्चात फौतेदगी नामा0 हेतु प्रार्थना पत्र पेश करेगा। इसी दौरान रेस्पो0 संख्या एक द्वारा वसीयतनामा दिनांक 26.12.2018 को बताकर दिनांक 16.01.2019 को ही नामा0 स्वीकृत करवा लिया। इसकी जानकारी अपीलार्थी को तत्समय में नही हुई दिनांक 06.7.2019 को फौतेदगी नामा0 हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि सभी खसरान भूमि में वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण रेस्पो0 संख्या एक के नाम स्वीकृत कर दिया गया है। तब दिनांक 9.7.2019 को नकले प्राप्त करने पर प्रथम बार जानकारी हुई। ऐसे में अपीलान्ट उक्त नामा0 आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश हेतु अनुमति प्रदान करावे साथ ही अपील को अन्दर म्याद शुमार करने का आदेश प्रदान करावें। रेस्पोडेन्टस के अधिवक्तागण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रार्थनापत्र एवं म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत करने में जल्दबाजी की गई और अकेले रेस्पो0 संख्या एक के नाम फौतेदगी नामा0 को वसीयत के आधार पर स्वीकृत कर दिया। उक्त भूमि में अपीलान्ट का भी जन्म से हक–अधिकार रहे है। नामा0 में जिस वसीयतनामें के दस्तावेज को आधार मानकर ख0सं0 470 मी व अन्य खसरान की भूमि का नामा0 किये जाने का आदेश दिया गया है वो धन्नाराम की पैतृक सम्पति थी स्वअर्जित नहीं थी तथा पैतृक सम्पति को वसीयत के आधार पर नामा0 स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। तहसीलदार के द्वारा उल्लेखित वसीयतनामें की कोई जॉच नहीं की एवं जल्दबाजी में नामा0 स्वीकृत कर दिया। जबकि उक्त नामा0 विरासत का नामा0 था जिसमें मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसान को नोटिस दिया जाना लाजमी था जो नहीं दिया गया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वसीयतनामा दस्तावेज में जायदाद सम्बन्धी स्पष्ट विवरण दिया हुआ नहीं हो तो ऐसे दस्तावेज के बारे में दीवानी

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

न्यायलय द्वारा बाद शहादत कोई निर्णय दिया जा सकता है। राजस्व न्यायालय तहसीलदार को ऐसी कार्यवाही में ऐसे दस्तावेज के आधार पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। विरासत जैसे मामलों में पूर्ण जॉच किये बिना कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिये थी। तहसीलदार जोधपुर के द्वारा वसीयत के आधार पर विरासत का नामा0 स्वीकृत किया गया है इस कारण धारा 135 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत उक्त अपील न्यायलय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामा0 संख्या 943 निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी का नाम भी रेस्पोडेन्ट के साथ दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत लिखित अपील जवाब को दोहराते हुए यह कथन किया कि अपीलान्ट की अपील में अंकित तथ्य मिथ्या होने से अस्वीकार है तथा सही तथ्यों को छुपाते हुए अपील पेश की है। उल्लेखित खसरान की भूमि लालाराम पुत्र सुरताराम की थी। लालाराम का देहान्त होने से पर उनके चार पुत्रों श्रीराम, धन्नाराम, मोहनराम व कनीराम उर्फ कन्हैयालाल के नाम नामा0 स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात मोहनराम के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का दिनांक 9.7.2008 को हकतर्कनामा श्रीराम, धन्नाराम व कनीराम के नाम कर दिया जिसका नामा0 संख्या 720 स्वीकृत हुआ। उसके बाद सहखातेदारान श्रीराम व धन्नाराम के हक–हिस्से वाली भूमि का हकतर्कनामा दिनांक 19.5.2010 को कनीराम के पक्ष में कर दी। इस प्रकार शेष ख0सं0 470 मी कुल रकबा 01.08 बीघा में तीन खातेदार श्रीराम, धन्नाराम व कनीराम रहे। तत्पश्चात उक्त समस्त हिस्से को सहखातेदार धन्नाराम पुत्र लालाराम के पक्ष में हकतर्क कर दिया जिसके आधार पर उक्त ख0सं0 470 मी. का नामा0 धन्नाराम के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। ऐसे में उक्त भूमि धन्नाराम के तन्हा खातेदार थे और कानूनन वह भूमि धन्नारामकी स्वअर्जित भूमि थी जिनमें उनके जीवनकाल में उनके पुत्रगण यानि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट का कोई हक–हिस्सा नहीं रहा था। अपीलान्ट के द्वारा अपनी अपील में उक्त भूमि को धन्नाराम की पैतृक सम्पति की भूमि होना बताया जो असत्य है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि धन्नाराम के द्वारा ख0सं0 470 मि बाबत हजारीसिंह के हक में वसीयतनामा निष्पादित कियागया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 943 स्वीकृत किया गया है उसमें कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है और नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व किसी अन्य पक्षकार को कोई नोटिस देने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस आधार पर अपील कानूनन चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उल्लेखित

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

वसीयतनामा जोकि एक पंजीकृत दस्तावेज है, को जब तक सिविल न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं करवाया जाता तब तक अपीलार्थी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारी अधिकारी को समाप्त करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं बनता है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अन्त में यह निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा समस्त तथ्यों को छुपाते हुए यानि क्लीन हैण्ड से यह अपील पेश नहीं की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे तथा अपीलाधीन नामा0 संख्या 943 स्वीकृत दिनांक 16.01.2019 को बहाल रखा जावे।

हमने पक्षकारान अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 943 श्री धन्नाराम पुत्र लालाराम के दिनांक 13.12.2018 को फौत हो जाने पर श्री धन्नाराम के द्वारा एक पंजीकृत वसीसतनामा रेस्पो0 संख्या एक हजारीसिंह पिता धन्नाराम के पक्ष दिनांक 21.05.2018 को निष्पादित किये जाने के आधार पर दिनांक 16.01.2019 को स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त खसरान भूमि जो कि पुश्तैनी भूमि होना प्रतीत होता है, को मृतक खातेदार श्री धन्नाराम पुत्र लालूराम के भाईयो द्वारा धन्नाराम के पक्ष में किस कारण से हकतर्क की गई है इसका कोई उल्लेख अपनी लिखित बहस में तथा दौराने सुनवाई नहीं किया गया है।

उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही श्री धन्नाराम के देहान्त होने पर सम्पादित की गई है। तहसीलदार के समक्ष मृतक खातेदार के एक वारिसान की ओर से वसीयत पेश होने पर तहसीलदार जोधपुर को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार श्री धन्नाराम के देहान्त होने पर उनके सभी वारिसान को अपना पक्ष रखने तथा पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही विधि अनुसार फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने सम्बन्धी कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जो अपीलाधीन प्रकरण में नहीं की जाना प्रकट होता है। ऐसे में हमारी विनम्र राय में अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर धारा 135(2) के तहत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन नामा0 संख्या 943 दिनांक 16.01.2019 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्री धन्नाराम पुत्र लालूराम के नाम दर्ज उल्लेखित वादग्रस्त खसरान भूमि के सम्बन्ध में राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करते हुए नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 19 फरवरी, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर